



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218836  
CG-DL-E-21032020-218836

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1061]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941

No. 1061]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

आयकर

का.आ. 1189(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप धारा (1) तथा (2) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2016(2016 का 28) की धारा 164 तथा 178 के खण्ड(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ कर निर्धारितियों के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त(अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) क्षेत्र में कार्यरत निर्धारण अधिकारी को वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के प्रयोजनार्थ किसी निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त अथवा सौंपी गई सभी अथवा किसी शक्ति तथा कार्यों को करने तथा निष्पादन के लिए प्राधिकृत करता है।

[अधिसूचना सं. 20/फा.सं.189/3/2020-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक